



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 333]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 5 दिसम्बर 2025—अग्रहायण 14, शक 1947

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 5 दिसम्बर 2025

क्र. एफ ए-3-32-2017-1-पांच (44).—मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 19 सन् 2017) की धारा 11 की उपधारा (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, जीएसटी परिषद् की सिफारिशों के आधार पर और इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना आवश्यक है, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए-3-32-2017-01-पांच (72), दिनांक 21 जुलाई 2017 सह पठित समसंख्यक अंग्रेजी अनुवाद क्र. (41), दिनांक 29 जून, 2017 में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है. उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 26 के समक्ष, कॉलम (3) में, मद (i) में निम्नलिखित स्पष्टीकरण को अंतः स्थापित किया जाएगा, यथा :-

“स्पष्टीकरण: इस प्रविष्टि के उद्देश्य से, “बस बॉडी बिल्डिंग” में सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची के अध्याय 87 के अंतर्गत आने वाले किसी भी वाहन की चैसिस पर की जाने वाली बॉडी बिल्डिंग भी आएगी”.

2. यह अधिसूचना 22 नवम्बर, 2019 से प्रवृत्त हुई मानी जावेगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

वन्दना शर्मा, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 5 दिसम्बर 2025

क्र. एफ ए-3-32-2017-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ ए-3-32-2017-1-पांच (44), दिनांक 5 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

वन्दना शर्मा, उपसचिव.

Bhopal, the 5th December 2025

No. F A-3-32-2017-1-V-(44).--In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 11 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the State Government, on the recommendations of the Council, and on being satisfied that it is necessary so to do, hereby makes the following further amendment in this department's notification FA3-32-2017-1-V(41), dated 29th June 2017, read with Hindi Version even no. (72), dated 21st July 2017. In the said notification, in the Table, against serial number 26, in column (3), in item (ic), the following Explanation shall be inserted, namely: -

"Explanation - For the purposes of this entry, the term "bus body building" shall include building of body on chassis of any vehicle falling under chapter 87 in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975."

2. This notification shall be deemed to come into effect from 22nd November 2019.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

VANDANA SHARMA, Dy. Secy.